विधान परिषद के द्वितीय सत्र-2025 के प्रथम-मंगलवार के लिए निर्धारित श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, मा० सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-5 का उत्तरालेख।

प्रश्न	उत्तर
5(क) क्या कृषि विपणन मंत्री बतायेंगे कि कृषि उत्पादन मण्डी समिति भरथना, जनपद-इटावा में कितने मण्डी निरीक्षक कितनी अवधि से तैनात हैं, उनके नाम एवं तैनाती अवधि का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?	जी हाँ। वर्तमान में कृषि उत्पादन मण्डी समिति, भरथना में 02 मण्डी निरीक्षक तैनात हैः- (1) श्रीमती प्रीति देवीं, मण्डी निरीक्षक दिनांक 27.08.2024 से तैनात हैं। **(संलग्नक-1)** (2) श्री मानवेन्द्र सिंह, मण्डी निरीक्षक दिनांक 18.06.2025 से तैनात हैं। **(संलग्नक-2)**
(ख) शासन की स्थानान्तरण नीति के अनुसार कितनी अवधि तक मण्डी निरीक्षक एक मण्डी अथवा जनपद में तैनात रह सकते हैं?	शासन द्वारा निर्गत स्थानांतरण नीति वर्ष 2025-26 में समूह 'ग' एवं 'घ' के कार्मिकों के स्थानान्तरण के लिए समय-सीमा निर्धारित नहीं है। सपठित शासनादेश दिनांक 13 मई, 2022 में समूह 'ग' एवं 'घ' के कार्मिकों के 03 वर्ष के पश्चात् पटल परिवर्तन/क्षेत्र परिवर्तन किये जाने की व्यवस्था उल्लिखित है।
(ग) स्थानान्तरण नीति के विरूद्ध उक्त मण्डी में तैनात मण्डी निरीक्षक/प्रभारी मण्डी सचिव के स्थानान्तरण के संबंध में दिसम्बर, 2024 में कृषि विपणन मंत्री को कितने सदस्य विधान परिषद्/जनप्रतिनिधियों के शिकायती पत्र प्राप्त हुये है?	श्री अनिल कुमार, मण्डी निरीक्षक, मण्डी समिति, भरथना (इटावा) के स्थानांतरण के सम्बन्ध में श्री कुँवर मानवेन्द्र सिंह, मा0 सभापति, विधान परिषद, विधान भवन, लखनऊ का पत्रांक-15633 दिनांक 27.12.2024 राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद मुख्यालय में प्राप्त हुआ।
(घ) उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी एवं शासन की स्थानांतरण नीति के विरुद्ध तैनात मण्डी निरीक्षक/प्रभारी मण्डी सचिवों का स्थानांतरण कब तक कर करायेंगे?	स्थानान्तरण नीति 2025-26 के अनुपालन में मण्डी समिति, भरथना (इटावा) में दिनांक 17.07.2021 से तैनात श्री अनिल कुमार, मण्डी निरीक्षक का स्थानांतरण मण्डी समिति, कमालगंज (फर्रूखाबाद) में कर दिया गया है। **(संलग्नक-3)**
(ङ) यदि नहीं, तो क्यों?	प्रश्न ही नहीं उठता।

दिनेश प्रताप सिंह
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग।

संलग्नक - L

पत्रांक-उ0नि0(प्र0/वि0)/(ब्य0प0-म0नि0)/2024-468 दिनांक-23-08-2024

आदेश
(औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र)

उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के पत्र संख्या-441/गोपन/01/10/2019/2024 दिनांक 02 जुलाई, 2024 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केन्द्रीयित) सेवा विनियामावली, 1984 यथा संशोधित के अधीन चयनित अभ्यर्थी श्रीमती प्रीति देवी पत्नी श्री सन्तोष कुमार निवासी-545क एस0यू0-110, शुक्ला विहार कालोनी, पारा, जिला- लखनऊ को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मण्डी निरीक्षक (अमीन/नीलामकर्ता) के पद पर वेतन बैण्ड-1,वेतनमान रू0 5200-20200, ग्रेड वेतन रू0 2800/- (सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-5) में न्यूनतम वेतन स्तर रु0 29200 निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए कानपुर सम्भाग के अन्तर्गत मण्डी समिति भरथना जनपद इटावा में तैनात किया जाता है:-

(1) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि में उनकी सेवायें संतोषजनक न होने की दशा में परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकती है तथा सेवामुक्त भी किया जा सकता है। ज्येष्ठता का निर्धारण सुसंगत नियमों के अनुसार बाद में मण्डी परिषद मुख्यालय स्तर से किया जायेगा।

(2) उपर्युक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतन के अतिरिक्त परिषद द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी नियमानुसार देय होंगे।

(3) यह औपबन्धिक नियुक्ति सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट से चरित्र सत्यापन किये जाने एवं शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी व अन्य प्रमाण-पत्रों का सत्यापन सम्बन्धित संस्थाओं/विभागों से किये जाने के अधीन होगा।

यदि चरित्र एवं शैक्षिक व अन्य प्रमाण-पत्र सत्यापित नहीं होता है अथवा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 के प्रावधानान्तर्गत उपलब्ध कराये गये स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में दी गई कोई सूचना गलत पाई जाती है तो नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणामस्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(4) यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है और किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी समय एक माह का नोटिस अथवा इसके बदले एक माह का अग्रिम वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

(5) कार्यभार ग्रहण करते समय निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे:-

1. मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण-पत्र।
2. जाति प्रमाण-पत्र (आरक्षित श्रेणी में चयन होने की दशा में) की प्रमाणित प्रति।
3. शैक्षिक योग्यता की प्रमाणित प्रतिलिपि।
4. चल-अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र।
5. विवाहित/अविवाहित का घोषणा-पत्र।
6. स्थाई पता के लिए आधार कार्ड/पासपोर्ट/बैंक पासबुक की प्रमाणित प्रति।

प्राप्रतिप्रमाणित
22/05/2025
(शशि कुमार मिश्र)
अनुभाग अधिकारी

23.08.2024

Scanned with OKEN Scanner

उपर्युक्त प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही योगदान करने की अनुमति दी जायेगी। योगदान आख्या इस नियुक्ति पत्र के निर्गत होने के एक माह के अन्दर तैनाती कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति मे यह नियुक्ति पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा। कार्यभार ग्रहण करने हेतु इन्हें किसी प्रकार का यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

(सन्तोष कुमार)
उप निदेशक(प्रशा0/वित्त0)/
नियुक्ति प्राधिकारी

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक–उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपिः–अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकप भवन, तृतीय तल, गोमतीनगर, लखनऊ को पत्र संख्या–441/गोपन/01/10/2019/2024 दिनांक 02 जुलाई, 2024 के कम में।
2. अपर निदेशक, मण्डी परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ लेखाधिकारी, मण्डी परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी।
5. अनुभाग अधिकारी, अधिष्ठान 'ग' अनुभाग, मण्डी परिषद, मुख्यालय।
6. सचिव, मण्डी समिति भरथना जनपद इटावा को इस आशय से प्रेषित कि कार्मिक द्वारा प्रस्तुत योगदान आख्या नियुक्ति पत्र में उल्लिखित समस्त प्रमाण–पत्रों/अभिलेखों सहित, सम्भागीय कार्यालय कानपुर को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. श्रीमती प्रीति देवी पत्नी श्री सन्तोष कुमार निवासी–545क एस0पू0–110, शुक्ला विहार कालोनी, पारा, जिला– लखनऊ।
8. आदेश व्यक्तिगत पत्रावली/गार्ड फाइल हेतु।

23.08.2024
उप निदेशक(प्रशा0/वित्त0)/
नियुक्ति प्राधिकारी

छायाप्रति प्रमाणित
02/05/2025
(शशि कुमार मिश्र)
अनुभाग अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश

किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ - 226010

दूरभाष : 0522-2720383, 384, 405, 137, 138, 139 फैक्स : 0522-2720056

ई-मेल : dirmandi@gmail.com वेबसाइट : upmandiparishad.upsdc.gov.in

पत्रांक: उ०नि०/ग/2025-1460 दिनांक: 14/06/2025

आदेश

तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित मण्डी निरीक्षक को उनके नाम के सम्मुख मण्डी समितियों में स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0	नाम	पदनाम	वर्तमान सम्भाग का नाम	वर्तमान तैनाती (मण्डी समिति)	नवतैनाती (मण्डी समिति)	नवतैनाती सम्भाग का नाम	अभ्युक्ति
1	श्री विमल किशोर गुप्ता	मण्डी निरीक्षक	कानपुर	कानपुर	इटावा	कानपुर	मण्डी समिति में सर्वाधिक कार्यकाल के कारण जनहित में।
2	श्री मानवेन्द्र सिंह	मण्डी निरीक्षक	कानपुर	कानपुर	भरथना	कानपुर	
3	श्री आदित्य कुमार	मण्डी निरीक्षक	कानपुर	इटावा	कानपुर	कानपुर	
4	श्री विकास कुमार	मण्डी निरीक्षक	कानपुर	कन्नौज	कानपुर	कानपुर	
5	श्रीमती पुष्पलता सिंह	मण्डी निरीक्षक	कानपुर	कानपुर	कन्नौज	कानपुर	

इनके द्वारा बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए तत्काल नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण किया जायेगा। कार्यभार ग्रहण किये जाने से पूर्व इन्हें कोई अवकाश अथवा कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य नहीं होगा।

(इन्द्र विक्रम सिंह)
आयुक्त एवं निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक समांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर निदेशक, मण्डी परिषद मुख्यालय।
2. वित्त नियंत्रक, मण्डी परिषद, मुख्यालय।
3. मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिषद, मुख्यालय।
4. उप निदेशक (प्रशासन/विपणन), मण्डी परिषद, कानपुर।
5. सम्बन्धित सभापति/ सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समितियां।
6. सम्बन्धित अधिकारीगण, मण्डी परिषद, उ0प्र0।
7. सम्बन्धित अधिकारी।
8. आदेश/ गार्ड पत्रावली हेतु।

(सचिन कुमार सिंह)

संलग्नक-3

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश

किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720383, 384, 405, 137, 138, 139 फैक्स : 0522-2720056
ई-मेल : dirmandi@gmail.com वेबसाइट : upmandiparishad.upsdc.gov.in

दिनांक: 14/06/2025

क्र0 प्रशा0/ग/2025-1458

आदेश

तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित मण्डी निरीक्षक को उनके नाम के सम्मुख मण्डी समितियों में स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0	नाम	पदनाम	वर्तमान सम्भाग का नाम	वर्तमान तैनाती (मण्डी समिति)	नवतैनाती (मण्डी समिति)	नवतैनाती सम्भाग का नाम	अभ्युक्ति
1	श्री अनिल कुमार	मण्डी निरीक्षक	कानपुर	भरथना	कमालगंज	कानपुर	प्रशासनिक आधार पर।

इनके द्वारा बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए तत्काल नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण किया जायेगा। कार्यभार ग्रहण किये जाने से पूर्व इन्हें कोई अवकाश अथवा कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य नहीं होगा।

(इन्द्र विक्रम सिंह)
आयुक्त एवं निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक समांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर निदेशक, मण्डी परिषद मुख्यालय।
2. वित्त नियंत्रक, मण्डी परिषद, मुख्यालय।
3. मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिषद, मुख्यालय।
4. उप निदेशक (प्रशासन/विपणन), मण्डी परिषद, कानपुर।
5. सम्बन्धित सभापति/ सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समितियां।
6. सम्बन्धित अधिकारीगण, मण्डी परिषद, उ0प्र0।
7. सम्बन्धित अधिकारी।
8. आदेश/ गार्ड पत्रावली हेतु।

(सचिन कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (प्र0वि0)

Scanned with OKEN Scanne